

17/2/22

पत्रावली माननीय न्यायालय, राजस्थान  
मण्डल अजमेर (राज. नं. 01 पत्रावली)  
न्यायालय T.A. निगरानी 2018/117 डि.  
जयपुर, 672 दिनांक 11/2/22

उ द्वारा प्राप्त होने पर प्राप्त हुई।  
माननीय राजस्थान मण्डल अजमेर  
के निष्पक्ष दिनांक 09/2/2022 के  
वकील उभयपक्षों ने राजीनामा प्रस्तुत किया  
गया, जिसमें विचाराधीन निगरानी को  
विद्रा करने हेतु निवेदन किया गया। उक्त  
क्रम में मूल राजीनामा फाइल के साथ मिलान  
कर निजवापस क्या जा शामिल पत्रावली  
किया गया राजीनामा में मुताबिक  
राजीनामा के आधार पर वाद/निगरानी  
माफिका को खारिज करने हेतु निवेदन  
किया गया है इतना लिखने पर वकील

वादी/प्राथमिक/वादिमा श्रीमती गुल्ली देवी  
स्वयं उपस्थित, वादिमा गुल्ली देवी व  
आरोपिका में उपस्थित होने पर एक विद्रा  
प्राथमिक पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त  
वाद में श्रीमती पार्वती देवी द्वारा माननीय  
राजस्थान मण्डल अजमेर के निगरानी प्रस्तुत  
की थी जिसमें निगरानी थामिका निरस्त करने  
के लिए उक्त वाद को इस न्यायालय को प्रेषित  
किया गया है उक्त वाद में वाद  
खं प्रतिवादी के मध्य राजीनामा  
हो चुका है तथा

नि. गुल्ली देवी  
Identified

Ram Chand Sharma  
Advocate  
9828548489

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम  
 श्रीमती गुल्ली देवी  
 Acn. JPR इ. बनाम हुन्नात (१६५)

टाका 156/2005

ह आज्ञा या र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-----------------------	----------------------	-------------

वाद को आगे नहीं चलाया जाय (है)  
 ऐसे में वादिया/प्राथीया का प्रार्थना पत्र  
 स्वीकार करने की हया को एवं / धमने वकील  
 वादी / वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का  
 अवलोकन किया / प्राथीया स्वयं उपस्थित  
 प्राथीया की पहचान वादी अधिवक्ता ने  
 की प्राथीया / वादी अधिवक्ता के प्रार्थना  
 पत्र / पत्रावली / दस्तावेजों का अध्ययन  
 करने पर पाया कि प्रकाश में वादी  
 एवं परिवार के मध्य रूग्णता है  
 प्रकाश है ऐसे में वाद को आगे  
 चलाया नहीं जाय है - यंत्र प्रकृत  
 में कोई कार्यवाही शेष नहीं है ऐसे में  
 कर्तव्य वादिया/वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना  
 पत्र को न्यायाधीश में स्वीकार किया  
 जाय कि वकील वादी का वाद विदा  
 प्रार्थना पत्र स्वीकार देने से वादी का  
 वाद खारिज किया जाता है पत्रावली  
 दर्ज न्याय ले कम एक के एक सुनाने  
 होकर दायिल दफ्तार है। (निर्णय आज्ञा  
 दिनांक 17/2/2022 को खुले न्यायमलय  
 में हुआ गया)

  
 अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)  
 सहायक कलक्टर  
 जयपुर शहर प्रथम